

<b>भारतीय मानक ब्यूरो</b> <b>BUREAU OF INDIAN STANDARDS</b>	<b>बचत के लिए विवरण</b> <b>DETAILS OF SAVINGS</b>	<b>FI</b>	<b>48A</b>
Pension Payment Order No. पेंशन भुगतान आदेश संख्या	Financial Year 20____ to 20____ वित्तीय वर्ष : 20..... से 20.....		
Name: Dr./Shri./Smt./Km. नाम: डा./ श्री / श्रीमती / कुमारी	Date of Birth. जन्म तिथि :		
Date of Retirement सेवानिवृत्ति की तिथि	Permanent A/c No. स्थायी खाता संख्या :		
<input type="checkbox"/> <b>Old Tax Regime</b> (Interested in avail benefits like Interest on House Building Advance, Standard Deduction, Section 80C etc.,)  पुरानी कर व्यवस्था (हाउस बिल्डिंग एडवांस पर ब्याज, स्टैंडर्ड डिडक्शन, Section 80C आदि जैसे लाभ प्राप्त करने के इच्छुक हैं)	<input type="checkbox"/> <b>New Tax Regime</b> (Not interested in avail benefits like Interest on House Building Advance, Standard Deduction, Section 80C etc.,)  नई कर व्यवस्था (लाभ प्राप्त करने में कोई दिलचस्पी नहीं जैसे हाउस बिल्डिंग एडवांस पर ब्याज, मानक कटौती, धारा 80 सी आदि)		
Address for Correspondence/ पत्राचार हेतु पता			
_____			
_____			

<b>1.</b>	<input type="checkbox"/> Self Occupied/ स्वयं अधिग्रहित Address of the Premises / परिसरों के पते (i) _____ (ii) _____ (If employee want to declare second home as self-occupied) (यदि कर्मचारी दूसरे घर को स्व-कब्जे के रूप में घोषित करना चाहते हैं) (a) Whether any loan has been taken? क्या कोई ऋण लिया गया है ? <input type="checkbox"/> Yes / हाँ <input type="checkbox"/> No / नहीं (b) If yes, please specify the Name of the Bank and the Principal and Interest payable during the Financial Year यदि है तो, कृपया बैंक का नाम और वित्तीय वर्ष के दौरान देय मूलधन और ब्याज निर्दिष्ट करें <table border="1"> <thead> <tr> <th>Loan</th> <th>Bank</th> <th>Principal</th> <th>Interest</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Against Ist home</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Against IInd home</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Total:</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> (c) Whether the loan in own (Single) name or Joint. ऋण स्वयं के (एकल) नाम पर हो या संयुक्त रूप से। <input type="checkbox"/> Single / एकल <input type="checkbox"/> Joint / संयुक्त (d) If in Joint name please specify the percentage of the rebate being claimed under section 24(1) यदि संयुक्त नाम में, तो कृपया धारा 24 (1) के तहत दावा की जा रही छूट का प्रतिशत निर्दिष्ट करें	Loan	Bank	Principal	Interest	Against Ist home				Against IInd home				Total:			
Loan	Bank	Principal	Interest														
Against Ist home																	
Against IInd home																	
Total:																	
<b>2.</b>	Any other income अन्य कोई आय: a) In the form of fees, honorarium, etc. received or expected to be received during the above period with details. क) विवरण सहित उपरोक्त अवधि के दौरान प्राप्त या प्राप्त की जाने वाली फीस, मानदेय इत्यादि के रूप में																

	<p>b) i) Income from House Property received in the financial year          ख) (i) वित्तीय वर्ष में प्राप्त हाउस प्रॉपर्टी से आय</p> <p>ii) Capital Gain          पूंजीगत लाभ</p> <p>c) Interest from other sources such as Dividend/interest          ग) लाभांश/ब्याज जैसे अन्य स्रोतों से ब्याज</p>	
<b>3.</b>	<b>Particulars of savings qualifying u/s 80-C of the Income Tax Act</b> <b>आयकर अधिनियम की धारा 80 - सी के तहत बचत के विवरण</b>	
i.	<p>Any sum paid by an individual as Life insurance premium for himself, spouse and children or paid by an HUF for any member of his family.          स्वयं , पति/ पत्नी एवं बच्चों की जीवन सम्बन्धी जीवन बीमा प्रीमियम के रूप में व्यक्तिगत रूप से किये गये</p>	
ii.	<p>Contribution to Provident Fund          भविष्य निधि अंशदान</p>	
iii.	<p>Contribution to superannuation fund          सेवानिवृत्ति निधि का अंशदान</p>	
iv.	<p>Contribution/subscription to NSC or ULIP or ELSS or Recognised Pension Funds          एन एस सी या यूलिप या ई एल एस एस या मान्य पेंशननिधियों के अंशदान/शुल्क</p>	
v.	<p>Fixed Deposit with any schedule bank for at least 5 years          कम से कम 5 वर्षों के लिए किसी अनुसूचित बैंक में सावधि जमा</p>	
vi.	<p>Payment of tuition fees (excluding development fees or donation etc) for maximum two children for full time education to Recognised university, college, school or other educational institution situated in India.          भारत में स्थित विश्वविद्यालय, कॉलेज, विद्यालय या अन्य शैक्षिक संस्थान में पूर्णकालीन अधिकतम 2 बच्चों के लिए शिक्षण शुल्क (विकास-शुल्क या दान इत्यादि को छोड़कर ) का भुगतान</p>	
vii.	<p>Any sum deposited in an account under the Senior Citizens Saving Scheme, 2004. The account in the scheme can be opened by an individual,          वरिष्ठ नागरिक बचत योजना, 2004 के तहत खाते में जमा की गई राशि । योजना में खाता व्यक्तिगत रूप से खोला जा सकता है ।</p> <p>a) Who has attained age of 60 years or above on the date of opening of the account?          खाता खोलने की तिथि को खाता खोलने वाले की उम्र 60 वर्ष या इससे ऊपर हो चुकी हो जिनकी आयु</p> <p>b) Who has attained the age 55 years or more but less than 60 years and has retired under a Voluntary Retirement Scheme or a Special Voluntary Retirement Scheme on the date of opening of the account within three months from the date of retirement.          जिनकी आयु 55 वर्ष या अधिक लेकिन 60 वर्ष से कम हुई हो तथा सेवानिवृत्ति की तिथि से तीन महिनो के भीतर खाता खोलने की तारीख को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना या विशेष स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के तहत सेवानिवृत्ति हुये हो</p> <p>c) No age limit for the retired personnel of Defence services provided they fulfil other specified conditions.          रक्षा सेवाओं के सेवानिवृत्त कर्मों के लिए कोई आयु सीमा नहीं है बशर्ते वे अन्य विशेष शर्तें पूर्ण करते हो</p>	

viii.	<p>Any sum deposited as five years time deposit in an account under the Post Office Time Deposit.</p> <p>पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट के तहत खाते में 5 वर्ष के लिए जमा के रूप में जमा की गई कोई राशि</p>	
ix.	<p>Contribution to 'Sukanya Samridhi Account' which can be opened at any time from the birth of a girl child till she attains the age of 10 years (with a minimum deposit of Rs. 1000)</p> <p>बेटी के जन्म से, एवं उसकी 10 वर्ष की आयु होने तक किसी भी समय 'सुकन्या समृद्धि खाता' खोला जा सकता है और उसका अंशदान (न्यूनतम 1000/- रुपये) है</p>	
4.	<p><b>Particulars of deduction qualifying u/s 80-D of the Income Tax Act</b>  <i>Medical Insurance Premium &amp; Contribution to CGHS Scheme</i>  <i>(Deduction is available upto Rs, 25,000/ for self/ family and parent/ parents of the assessee</i>  <i>.In case of senior citizens, a deduction upto Rs. 50,000/-)</i></p> <p><b>आयकर अधिनियम की धारा 80-डी के तहत कटौती के विवरण</b></p> <p>(चिकित्सा बीमा प्रीमियम एवं सी जी एच एस योजना का अंशदान (करदाता स्वयं / फैमिली और पेरेन्टस के लिए रुपये 25000/- तक कटौती उपलब्ध है और करदाता स्वयं / फैमिली और पेरेन्टस वरिष्ठ नागरिक होने की स्थिति में अधिकतम रुपये 50000/- तक कटौती उपलब्ध है)</p>	
5.	<p><b>Particulars of deduction qualifying u/s 80-DD of the Income Tax Act</b>  <i>Expenditure on Medical Treatment of a dependant being a person with permanent disability (including blindness) or mentally retarded, which are covered under section 56(4) as certified by a specified physician or psychiatrist</i>  <i>(Maximum Eligibility Rs. 75,000/-, in case of severe disability max eligibility Rs. 1,25,000/-)</i></p> <p><b>आयकर अधिनियम की धारा - 80 डी डी के तहत कटौती के विवरण</b></p> <p>फिजिशियन या मनोचिकित्सक द्वारा प्रमाणित के रूप में धारा 56(4) के तहत स्थायी अक्षमता (अंधपन सहित) या दिमागी तौर पर दिवालिया सहित एक व्यक्ति के नाते आश्रित चिकित्सा उपचार संबंधी व्यय (अधिकतम पात्रता रुपये 75000/-गंभीर अक्षमता के मामले में अधिकतम योग्यता रुपये 125000/-)</p>	
6.	<p><b>Particulars of deduction qualifying u/s 80-DDB of the Income Tax Act</b>  <i>Expenditure on Medical Treatment actually incurred by resident assessee on himself or dependent relative for medical treatment of specified disease or ailment. The diseases have been specified in Rule 11DD. A certificate in form 10I is to be furnished by the assessee from a specialist working in a Government hospital</i>  <i>(Maximum Eligibility Rs. 40,000/-, in case of senior citizen max eligibility Rs. 1,00,000/-)</i></p> <p><b>आयकर अधिनियम की धारा-80 डी डी बी के तहत कटौती के विवरण</b></p> <p>विशेष बिमारी या रोग के चिकित्सीय उपचार के लिए स्वयं या आश्रित संबंधी पर आवासीय करदाता द्वारा वास्तविक रूप से खर्च किये गये चिकित्सीय उपचार संबंधी व्यय । बिमारी को नियम 11 डी डी में निर्दिष्ट किया गया है । फॉर्म 10I में एक प्रमाण पत्र सरकारी अस्पताल में कार्यरत विशेषज्ञ से लेकर करदाता का द्वारा प्रस्तुत किया जाना है ।  (अधिकतम पात्रता रु 40,000/-, और वरिष्ठ नागरिकों की अधिकतम पात्रता के मामले में रु. 1,00,000/-)</p>	
7.	<p><b>Particulars of deduction qualifying u/s 80-E of the Income Tax Act</b>  <i>Payment/ Instalment of loan taken from any Financial Institution for Pursuing Higher Education.</i>  <i>(8 Years from the year of loan taken or till the completion of the period of loan whichever is earlier ) FY of Loan Taken</i></p>	

	<p><b>आयकर अधिनियम की धारा 80-ई के तहत कटौती के विवरण</b> (उच्च शिक्षा लेने हेतु किसी भी वित्तीय संस्थान से लिये गये ऋण का भुगतान / किस्त लिये गये ऋण के वित्तीय वर्ष में लिये गये ऋण के वर्ष से 8 वर्ष या ऋण की सम्पूर्णता की अवधि तक, जो भी पहले हो )</p>	
8.	<p><b>Particulars of deduction qualifying u/s 80-EEB of the Income Tax Act</b> <i>A deduction for interest payments up to Rs. 1,50,000 is available under Section 80EEB to Individuals having an electric vehicle. The said Loan must be taken from a financial institution or a non-banking financial company for buying an electric vehicle and such loan must be sanctioned anytime during the period starting from 1 April 2019 till 31 March 2023.</i></p> <p><b>आयकर अधिनियम की धारा 80-ईईबी के तहत कटौती के विवरण</b> इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वाले व्यक्तियों को धारा 80 ईईबी के तहत Rs. 1,50,000 तक के ब्याज भुगतान की कटौती उपलब्ध है। उक्त ऋण को एक इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने के लिए किसी वित्तीय संस्थान या गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी से लिया जाना चाहिए और इस तरह के ऋण को 1 अप्रैल 2019 से शुरू होकर 31 मार्च 2023 तक किसी भी समय स्वीकृत किया जाना चाहिए।</p>	
9.	<p><b>Particulars of deduction qualifying u/s 80-U of the Income Tax Act</b> <i>(Max Eligibility Rs. 75,000/- , in case of severe disability max eligibility of Rs. 1,25,000/- )</i></p> <p><b>आयकर अधिनियम की धारा 80-यू के तहत कटौती के विवरण</b> (अधिकतम पात्रता Rs. 75,000/- , गंभीर अक्षमता के मामले में Rs 1,25,000/- अधिकतम पात्रता)</p>	
10.	<p><b>Details of any other Deduction/Exemption claimed not listed above</b> (Please verify relevant Section of Income Tax Act) किसी भी अन्य कटौती / छूट का विवरण ऊपर सूचीबद्ध नहीं है (कृपया प्रासंगिक आयकर अधिनियम की धारा सत्यापित करें)</p>	

I. I hereby declare that the above information is true and correct to the best of my knowledge and belief. I also undertake that the copy of Investments /documents will be handed over by me to the Finance Department at Head Quarter.

i. For Investments already made till date- along with this Declaration Form  
ii. For proposed investments to be made at future **date- on or before 31<sup>st</sup> December**, failing which T.D.S. shall be deducted accordingly.

मैं एतद्वारा घोषणा करता / करती हूँ कि उपरोक्त सूचना अपनी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार पूर्णतः सही है । मैं यह भी वचन देता/ देती हूँ कि वित्त विभाग को अपने निवेश की प्रतियाँ / दस्तावेज उपलब्ध कराऊंगा / कराऊंगी।

i. इस घोषणा फार्म सहित आज की तिथि तक किये गये पूर्व निवेशों हेतु  
ii. 31 दिसम्बर तक या इससे पहले भविष्य हेतु किये जाने वाले प्रस्तावित निवेशों हेतु जिसके लिए टी डी एस तदनुरूप काटा जायेगा ।

II. I further undertake that in case some interest or other liability arises on Bureau due to my default the same may be devolved upon me.  
मैं यह भी वचन देता / देती हूँ कि मेरी कमी के कारण ब्यूरो पर उपजे किसी ब्याज या अन्य देयता के मामले में मुझ पर अवक्रमिक की जा सकती है ।

<b>Date:</b>	<b>Signature :</b>
<b>Place :</b>	<b>हस्ताक्षर</b>
	<b>Name :</b>
	<b>नाम</b>
	<b>PPO:</b>
	<b>पी पी ओ संख्या:</b>